



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1802/2026

Ravindra Kumar Narang Son Of Shri Hansraj Narang,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Manish Kumar Meena, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

21/04/2026

अयाची क्रम-1 राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गई, जिन्हें निर्देश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर प्रकरण की केस डायरी तथा अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

कार्यालय द्वारा अयाची क्रम-2/परिवादी को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावें।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्तगण का निवेदन है कि मामला सिविल प्रकृति का है, अभियुक्त क्रम-1 फर्म में भागीदार है तथा विवाद होने पर उसके द्वारा अपने अधिकार सह-अभियुक्त सुमरन को दिये गये हैं और उसी बात को लेकर मिथ्या आरोपण किया है, अभियुक्तगण द्वारा किसी भी पक्ष को कोई धमकी नहीं दी गई है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्तगण आज से पंद्रह दिवस में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निरंतर अनुसंधान में सहयोग करे, इसी शर्त के अधीन पुलिस थाना—रूदावल, जिला—भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—70/2026 में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर आगामी पेशी तक रोक लगाए जाने का अंतरिम आदेश दिया जाता है। परिवादी के उपस्थित होने पर उसे सुनकर नये सिरे से अंतरिम/अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J